न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 04/2018 राजस्व वाद

उनवान

1. बलवन्तराय पिता रूपलाल लढा उम्र वयस्क निवासी माणिक्यनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा राज0
2. सरला पत्नि राजेश बाहेती उम्र वयस्क निवासी बाजार नम्बर 02 भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा

---- (वादी)

बनाम

1. धन्ना पिता माधु लुहार उम्र वयस्क निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. रतन लाल पिता माधु लुहार उम्र वयस्क निवासी पायरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. जमनी बैवा माधु लुहार निवासी पायरा तहसील पायरा तहसील बनेडा
4. शान्ति लाल पिता कुन्दनलाल राठी निवासी फ्लेट नम्बर 103, 80 में. फेन्सी शेक मुम्बई, महाराष्ट्र
5. शिवप्रसाद पिता कुन्दनलाल राठी निवासी 102 श्री दर्शन कोपरेटिव सोसाईटी चौथा मवला वाडी मुम्बई महाराष्ट्र
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

----(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित –

1. श्री कृष्णकुमार जीनगर ....वादीगण अधिवक्ता
2. पैरोकार सरकार.........................विपक्षी संख्या 05

दिनांक– 03.04.2018

आज दिनांक 03.04.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादीगण का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53,188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस प्रकार मंजूर किया जाता है, कि ग्राम दांतानिलावरी पटवार क्षैत्र बालेसरिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बेंरा तहसील बनेडा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के खतौनी संख्या 120 कुल किता 10 रकबा 08–12 बीघा में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्षा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का हक हिस्सा प्रथक व प्रतिवादी क्रम 01 से 05 को प्रस्ताव अनुसार पृथक करते हुए विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्षाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है– (खतौनी संख्या 120 नया)

1. धन्ना रतनलाल पिता माधु जमनी बैवा माधु लुहार सा.पायरा खातेदार (प्रतिवादीगण)

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
297	00-18	चा.जा. द्वितीय/चा.द्वितीय	1.22/4.86
296	00-13	चा.जा. द्वितीय/चा.द्वितीय	1.42/2.43
290	00-04	गे.मु.चाह	
295/2	00-04	चा.जा. द्वितीय	0.81
298/1	00-18	बी.ब.	0.40
कुल 5	रकबा 02–17 बीघा		11.55

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

2. बलवन्तराय पिता रूपलाल लढा सा.माणिक्यनगर भील. सरला पत्नि राजेश बाहेती निवासी बाजार नम्बर 02 भीलवाडा (वादीगण)

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
298	01-03	बी.ब.	0.51
295	00-18	चा.द्वितीय	7.29
294	00-16	चा.जा. द्वितीय / चा.द्वितीय	1.62/2.43
कुल 3	रकबा 02–17 बीघा		11.85

3. शान्तिलाल पिता कुन्दनलाल राठी फ्लेट न.103, 80 नेफेन्सी रोड मुम्बई व शिवप्रसाद पिता कुन्दनलाल राठी 102 श्रीदर्शन कोपरेटिव सोसाईटी चौथा माला नवी बाडी मुम्बई खातेदार (प्रतिवादीगण)

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
293	00-18	चा.द्वितीय	7.29
292	00-18	चा.द्वितीय	7.29
289	00-17	चा.द्वितीय	6.89
291	00-02	चा.जा. द्वितीय / चा.द्वितीय	0.20/0.41
294 / 1	00-01	चा.द्वितीय	0.41
295 / 1	00-01	चा.द्वितीय	0.41
कुल 6	रकबा 02–17 बीघा		22.90

4. यथावत शामलाती रहेगा–

आ0न0	रकबा	किस्म	लगान
296 / 1	00-01	चा.द्वितीय	0.41
कुल 1	रकबा 00–01 बीघा		01.41

उक्तानुसार भूमि वादीगण व प्रतिवादी क्रम 01 से 05 के मध्य क्रम संख्या 1 से 4 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 से 05 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 03.04.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः– पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को मय प्रस्तावित नक्शाट्रेस व विभाजन प्रस्ताव सूची के प्रेषित हो।